संख्या-39/2020/1065/सैंतीस-2-2020-1(53)/02

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-06 मई, 2020

विषयः- **राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को संशोधित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-38/2020/1034/सैंतीस-2-2020-1(53)/02, दिनांक-04.04.2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.+रा.) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-67.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में तिथि दिनांक-04 मई, 2020 के स्थान पर त्रुटिवश दिनांक-04 अप्रैल, 2020 अंकित हो गयी है। अतएव उपरोक्त शासनादेश में त्रुटिवश अंकित दिनांक-04 अप्रैल, 2020 के स्थान पर दिनांक-04 मई, 2020 पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-04.04.2020 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

पृ0सं0-39/2020/1065(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in